न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/209

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर तहसील अलवर जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मनबाई पत्नी स्व0 फूलचन्द
2. जितेन्द्र पुत्र स्व0 फूलचन्द
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 फूलचन्द
4. धमेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 फूलचन्द
   समस्त जाति मीणा निवासी भूगोर तहसील व जिला अलवर।
5. श्रीमती छोटी देवी पत्नी स्व0 नेमीचन्द जाति मीणा निवासी 182 मीणा कॉलोनी ग्राम भूगोर तहसील व जिला जयपुर ।
6. मोहन लाल पुत्र स्व0 नेमीचन्द जाति मीणा निवासी गुरूजी की कोठी ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर।
7. रामनिवास मीणा पुत्र स्व0 नेमीचन्द जाति मीणा निवासी 182 मीणा कॉलोनी तहसील व जिला अलवर।
8. रतन लाल मीणा पुत्र स्व0 नेमीचन्द जाति मीणा निवासी 182 मीणा कॉलोनी ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर द्य
9. रवि कुमार मीणा पुत्र स्व0 सोहन लाल मीणा पौत्र स्व0 नेमीचन्द जाति मीणा निवासी गुरूजी की कोठी ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर।
10. अमित कुमार मीणा पुत्र स्व0 सोहन लाल मीणा पौत्र स्व0 नेमीचन्द जाति मीणा निवासी गुरूजी की कोठी ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर।
11. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मणराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर।
12. दुलीचन्द मीणा पुत्र स्व0 लक्ष्मणराम जाति मीणा निवासी ग्रामभूगोर तहसील व जिला अलवर।
13. दीपचन्द मीणा पुत्र स्व0 लक्ष्मणरामजाति मीणा निवासी ग्रामभूगोर तहसील व जिला अलवर।
14. नरेन्द्र मीणा पुत्र स्व0 लक्ष्मणरामजाति मीणा निवासी ग्रामभूगोर तहसील व जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 04.01.2024 बअदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर प्रार्थना पत्र 03/40 बउनवानी फूलचन्द व अन्य बनाम राज0 सरकार जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल वकील अपीलान्ट
2. श्री संजय शर्मा वकील रेस्पो0 1 से 14 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–02.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 04.01.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 14 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर वाके ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर में स्थित खसरा नं 611 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा तथा 620 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा नं. 620 मिन रकबा शामिल खसरा नं. 1066 एवं नवीन बंदोबस्त संवत् 2051 में आराजी के नवीन खनं० 1076 रकबा 1.00 हैक्टर, खं0 नं0 1086 रकबा 0.29 हैक्टर, खं०नं0 1089 रकबा 0.54 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.83 है0 जमाबंदी में माफी मंदिर सीताराम जी महाराज का नाम दर्ज करने से दुरूस्ती हेतु प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश दिनांक 04.01.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 04.01.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 04.01.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य था। उक्त समस्त तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज करते हुये जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 दुरूस्ती का प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय प्रदान करने में उक्त धारा 136 के तहत किसी भी रूप से सक्षम नही था। यदि रेस्पोडेन्ट के किसी प्रकार के हक व अधिकार अपीलाधीन भूमि निहित थे तो उनके द्वारा नियमित घोषणा का वाद कर अधिनस्थ न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट को अपीलाधीन भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय हैं । अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि में खातेदार का नाम हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जबकि खातेदार का नाम परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में कतई नही हैं। धारा 136 एल. आर. एक्ट में मात्र लिपिकिय त्रूटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है जिसमे दोनो पक्ष सहमत हो । भू–राजस्व अधिनियम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

की धारा 136 के तहत केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता हैं। उपरोक्त दुरुस्ती लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी में नही आती है और ना ही रिकार्ड दुरूस्ती की परिभाषा में आती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना मंदिर माफी की भूमि को धारा 136 में दुरूस्त कर खातेदारी अधिकार दिये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 04.01.2024 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपरोक्त प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के बुजुर्गो की कब्जें काश्त खातेदार की आराजी थी जिस पर वह अरसे दराज से यानी संवत् 2001 से पूर्व से का वज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। राजस्थान भू सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 ए लागू होने से पूर्व से प्रार्थीगण व उनके बुजुर्ग बतौर टीनेन्ट काश्त करते चले आ रहे थे। जिसमें काश्तकार के कॉलम में प्रार्थीगण के बुजुर्ग काल्या पुत्र छोट्या जाति मीणा का नाम दर्ज हैहै। संवत् 2020 से पूर्व आराजी के खं०नं0 632 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा व खं०नं0 633 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा पर प्रार्थीगण के पूर्वज काल्या पुत्र छोट्या मीणा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तत्पश्चात् सेटलमेन्ट संवत् 2020 में आराजी के नवीन खं०नं0 611 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा तथा 620 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा कायम किये गये जिस पर बतौर खातेदार प्रार्थीगण के पिता मांग्या पुत्र कालूराम के खातेदारी दर्ज की गई तत्पश्चात् नवीन बंदोबस्त संवत् 2051 में आराजी के नवीन खंनं० 1076 रकबा 1.00 हैक्टर, खं0नं0 1086 रकबा 0.29 हैक्टर, खं०नं0 1089 रकबा 0.54 हैक्टर कायम किये गये जिस पर प्रार्थीगण नेमीचन्द फूलचन्द व लक्ष्मण पिसरान मांग्या को खातेदार दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत् 2057 लगा0 2060 में भी आराजी पर प्रार्थीगण को बतौर साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया। संवत् 2061 लगा0 2064 के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अचानक प्रार्थीगण का नाम हटा दिया गया तथा खातेदारी के कॉलम में माफी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज का नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्द्राज का परिवर्तन कलेक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश क्रंमाक 2938–49 दिनांक 24.04.2002 की अनुपालना में किया गया तथा उसके पश्चात् जो जमाबन्दी संवत् 2061 लगा0 2064 व संवत् 2065 लगा० 2068 व संवत् 2009 लगा० 2072 में तैयार की गई उसमें भी प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार अवैध व अनाधिकृत रूप से हटा दिया गया। जिला कलेक्टर अलवर जिसकी पालना में प्रार्थीगण का नाम हटाया गया है वह आदेश कतई गलत व गैरकानूनी है तथा कानून के प्रावधानों के विपरित है। कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भी खातेदार का नाम बिना किसी विधिक प्रक्रिया को काम में लिये नहीं हटाया जा सकता । मात्र एक चिट्ठी के आधार पर खातेदार का नाम हटाया जाना विधि के प्रावधानों के सर्वथा उल्लघंन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सभी तथ्यों की जॉच एवं रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील **अपीलांट खारिज** की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया। अतः न्यायहित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

में नकल दिनांक 30.04.2024 को प्राप्त होने से अपीलांट्स द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर में स्थित खसरा नं 611 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा तथा 620 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा नं. 620 मिन रकबा शामिल खसरा नं. 1066 एवं नवीन बंदोबस्त संवत् 2051 में आराजी के नवीन खंनं० 1076 रकबा 1.00 हैक्टर, खं0 नं0 1086 रकबा 0.29 हैक्टर, खं०नं0 1089 रकबा 0.54 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.83 है0 जमाबंदी में माफी मंदिर सीताराम जी महाराज का नाम दर्ज करने से दुरूस्ती को लेकर है। प्रार्थीगण द्वारा दुरूस्ती के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत् पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबंदी में दर्ज माफी मंदिर सीताराम जी महाराज का नाम विलोपित कर खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के अंतर्गत केवल राजस्व अभिलेखों में रही लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान हैं। धारा–136 में भूमि की किस्म परिवर्तित करने या खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेन्ट के किसी प्रकार के हक व अधिकार अपीलाधीन भूमि में निहित थे तो उनके द्वारा नियमित घोषणा का वाद कर अधिनस्थ न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलाधीन भूमि में माफी मंदिर सीताराम जी महाराज का नाम विलोपित कर रेस्पोडेन्ट को खातेदार–काश्तकार घोषित करने का जो निर्णय पारित किया है वह गंभीर त्रुटि की श्रेणी में आता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित अनेकों न्यायिक सिद्धान्तों में मंदिर को शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में माना गया है। शाश्वत नाबालिक के अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार एवं लोकसेवकों का कर्तव्य है किन्तु उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र 136 में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर माफी मंदिर सीताराम जी महाराज का नाम विलोपित कर रेस्पोडेन्ट को खातेदार–काश्तकार घोषित करने के आदेश जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी अलवर का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2024 को निरस्त किया जाता है एवं ग्राम भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान की आराजी खसरा नम्बर 1076, 1086 व 1089 किता 3 रकबा 7 बीघा की खोतेदारी इन्द्राज, जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में तहसीलदार अलवर द्वारा लगाया गया "माफी मंदिर" के नोट को यथावत रखा जाता है तथा भूमि विवादग्रस्त की अपीलाधीन आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। अपीलाधीन आदेश के पश्चात् यदि उक्त मंदिर माफी की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन हुए हो तो वे भी सभी शून्य प्रभावी होंगें। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मंदिर मूर्ति शाश्वत की भूमि में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जिसके लिये अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री जयन्त कुमार (आर.ए.एस.) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की किया जाना

न्यायोचित होगा। ऐसे में निर्णय की प्रति कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार को भिजवाते हुऐ तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जयन्त कुमार (आर.ए.एस.) के विरुद्ध अनुशासनात्मक करने हेतु लिखा जावें।

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर